मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2001 (भाद्र 28, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 1997) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1998-99 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अधिनियम, 1980 की धारा-30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) एफ क्र. पन्द्रह-17-2000-15-1, दिनांक 19 जून, 2001; तथा
(ख) क्र. एफ. 5-11-2001-पन्द्रह-1, दिनांक 14 अगस्त, 2001,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (1-4-99 से 31-3-2000) का तिरयालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000; तथा
(ख) मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा 33 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम, 2001,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम बड़ा उण्डवा में आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. कल्पना परुलेकर, श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, उज्जैन जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) श्री तेजसिंह सेंधव, सभापति, लोक लेखा समिति का 133 वां से 165 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के -

(क) ईश्वर नगर बस्ती में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराये जाने,
(ख) शाहपुरा गांव एवं शाहपुरा ए,बी तथा सी सेक्टर में सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) चांदबड़ एवं सेमराकला में सड़कों का डामरीकरण कराये जाने; तथा
(घ) कोटरा सुल्तानाबाद एवं नेहरूनगर की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य

(1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, वन प्रबन्धन के बारे में लिये गये जनहितकारी निर्णय के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री, सहकारिता, दिनांक 30 मार्च, 2001 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्रमांक-7210) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. गोविंद सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 19 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री डोमन सिंह नगपुरे, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजा पटैरिया, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 21 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(4) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे

(5) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 सितम्बर, 2001